फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्रीमती टमू पत्नि भुरालाल गुर्जर, निवासी चारणीया वार्ड नं0 2, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द —अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 59/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02.03.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी देवगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/901—902 दिनांक 29.10.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक—का सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 20.08.2020 व इस अनुभाग को 20.08.2020 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन — से चाही गई सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर उपखण्ड कार्यालय देवगढ की होने से मूल ही प्रार्थना पत्र जरिये पत्र क्रमांक : प.1( )सू.अ., 05/2020/653—54 दिनांक 20.08.2020 से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(।)(।।) के तहत उपखण्ड अधिकारी देवगढ को अंतरण कर प्रेषित करते हुए प्रार्थी को सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2021/126—27 दिनांक 24.02.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में चाही गई वांछित सूचना में प्रार्थीया द्वारा इस कार्यालय में किसी प्रकार का कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया गया। अतः सूचना दिया जाना असम्भव हैं। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा	

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ के कार्यालय में किसी प्रकार का कोई आवेदन भी पेश नही किये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द तथा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)